न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 66 / 2017 श्री लक्ष्मणलाल बनाम श्रीमती जम्मुदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09–04–2018	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ दिनांक 15–05–2017 प्रकरण संख्या 80 / 2016 रेवेन्यू वाद ——— वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रकरण में वस्तुतः पूर्व वाद संख्या 39 / 2007 (78 / 2010) में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–8–2015 की इस न्यायालय में अपील संख्या 15 / 2015 में अपीलान्ट की प्रथम अपील पर इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये :– **"दफा–10 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों अनुसार किसी भी वाद में पश्चातवर्ती वाद को स्थगित किये जाने के प्रावधान है। किसी वाद कार्यवाही को ड्रोप किये जाने के दफा–10 जाब्ता दीवानी में प्रावधान नहीं है। इस प्रकरण में तो दीवानी न्यायालय का प्रकरण संख्या 11 / 2012 होना प्रतिवादी द्वारा स्वयं बताया गया है। राजस्व न्यायालय का प्रकरण संख्या 39 / 2007 है तथा यह प्रकरण वर्ष 2007 से चल रहा है। तद्नुसार राजस्व न्यायालय का प्रकरण दीवानी न्यायालय का पश्चातवर्ती हो यह रेकार्ड से प्रमाणित नहीं है। वहीं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 11 जो कि राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार से संबंधित थी। उक्त तनकी को दिनांक 15–2–2011 को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित कर दी गई है, एवं तद्नुसार राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार मान लिया गया है, जिसकी कोई अपील / रिवीजन होना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि वादी दत्तक पुत्र होने के कारण अपनी खातेदारी घोषणा चाहता है। जो राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का विषय है, तथा अधिनिस्थ न्यायालय के समक्ष दफा–10 के आवेदन में विधि	

अनुसार निर्णय किये जाने पर अधिकतम दावे को स्थगित किये जाने का अधिकार हो सकता था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही ड्रोप की गई है, वह विधि–सम्मत नहीं है। अन्यथा भी इस प्रकरण में अंतिम निस्तारण के लिए तथा प्रकरण अंतिम बहस के लिए नियत था, तो दफा–10 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत प्रावधानों से इतर जाकर जो निर्णय दिया है, उसे न तो औचित्यपूर्ण माना जा सकता है न ही विधि संगत। कोई भी न्यायालय अपनी अन्तर निहित शक्तियों से विधि प्रतिकूल स्वेच्छाचारी निर्णय नहीं कर सकता। प्रस्तुत प्रकरण में दफा–10 जाब्ता दीवानी का विधि अनुकूल तथा उसी न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये निर्णय के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–8–2015 अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विरचित तनकियों के आधार पर पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर बहस सुनकर अंतिम निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–10–2016 को उपस्थित होवें"।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 80 / 2016 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 15–5–2017 से जो निर्णय पारित किया है, उसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों की कोई पालना नहीं की है जो अत्यन्त खेदजनक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिप्रेषण पश्चात् प्रकरण पुनः दर्ज कर तनकीवार निर्णय पारित किये जाने के स्थान पर सम्पूर्ण साक्ष्य के लिए बिना व साक्ष्यों का विश्लेषण किये बिना निर्णय पारित किया है, जो लोक अदालत में पारित निर्णयों में बिना राजीनामा के विधिक प्रक्रिया अनुसार निस्तारण के स्थान पर संख्यात्मक निष्पादन बिना विधिक प्रक्रिया एवं विवेक

अनुपयोग के पारित किया गया निर्णय है जो पक्षकारों व न्यायालय के श्रम, धन, व समय पर कुठाराघात है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–5–2017 प्रतिप्रेषण आदेशों की विधिक अनुपालना किये बिना पारित निर्णय होने से अपास्त किया जाकर, हिदायत के साथ प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 15 / 2015 में पारित निर्णय दिनांक 10–8–2016 में दिये गये प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना कर ही निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–6–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गणेश लाल नागदा पिता
श्री कालूलाल नादा निवासी
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
के पास शोभागपुा स्कूल के सामने
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0.....
..... उदयपुर ..... मुकाम मुर्क्खे.....27..... माह .....02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुक्र्खे.....08..... माह .....07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ..... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील ..... 6. स्टाम्प वकालत नामा..... 7. इजराय हुक्मनामा ..... 8. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।